कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

दहेज हत्या में पाँच साल से फरार
2 वान्छित आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 25 अगस्त। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि जिले में लगातार हो रही अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को गिरफतार करने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। महिला थाना ने 25 अगस्त,2017 को श्री पारस जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व वृत्ताधिकरी शहर उत्तर श्री जयसिंह नाथावत के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा भोण्डसी जिला गुड़गावां हरियाणा से वान्छित स्थाई वारण्टी अनूप विश्वास पुत्र जगदीश विश्वास तथा पारूल विश्वास पत्नी जगदीश विश्वास निवासी अखाईपुर थाना गोपाल नगर जिला नोर्थ 24 परगना पश्चमी बंगाल को गिरफतार किया गया। स्थाई वारन्टी अदालत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या –4 अलवर से फरार चल रहे थे।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि घटना आरोपी अनूप विश्वास पुत्र जगदीश विश्वास तथा पारूल विश्वास पत्नी जगदीश विश्वास द्वारा अपनी पत्नी दिप्ती बाला को दहेज के लिये तंग परेशान कर जहर देकर मृत्यु कारित कर दी जिस पर 8 सितम्बर,2012 को मृतका के पिता दीपक बाला पुत्र पंचानन बाला के प्रकरण दर्ज कराया था, आरोपी बाद घटना से फरार हो गये।

राही/ सन्तरा/616/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 25 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल टांक ने बताया कि भरतपुर के गांव महलपुरचूरा थाना रुदावल निवासी अनेकसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति नाई ने गांव के ही महावीरसिंह एवं 20–25 जनों के विरूद्ध एकराय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ लाठी, डण्डों से मारपीट कर घायल कर देने जिससे प्रार्थी के भाई चौथीलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने का एक मामला 19 अगस्त,2017 को थाना रूदावल पर मुकदमा दर्ज कराया था।

श्री टांक ने बताया कि थानाधिकारी श्री अनिकुमार उ0नि0 द्वारा दौरान अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **महावीरसिंह, गड्डर पुत्र कुमरपाल** व **शिवकुमार पुत्र महावीरसिंह जातियान ठाकुर निवासी महलपुरचूरा थाना रुदावल** को गिरफ्तार किया गया है।

राही/ सन्तरा/617/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कंठी लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले मुलजिम पुलिस गिरफ्त में, कई वारदातों का खुलासा

जयपुर 25 अगस्त। पुलिस अधीक्षक पाली श्री दीपक भार्गव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि जिला पाली में वांछित अपराधियों की धरपकड़ एवम् अदम पता रहे कंठी लूट की वारदातों के अपराधियों के तलाशी अभियान के दौरान **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा, वृताधिकारी जैतारण श्री वीरेन्द्र सिंह के निर्देशन में भंवरलाल चौधरी थानाधिकारी पुलिस थाना जैतारण के नेतृत्व में लालाराम उनिपु, जनार्दन मुख्य आरक्षक, कानिस्टेबल लक्ष्मण चौधरी, बिरबल, अजित सिंह, हनुमानराम, अशोक पुलिस थाना जैतारण व श्री गौतम आचार्य साईबर सैल का गठन किया जाकर** प्रकरण संख्या 96/2017 व 101/17 धारा 392, 394 भादस पुलिस थाना जैतारण में अज्ञात मुलजिमों की तलाश शुरू की गई तथा संदिग्ध अज्ञात मुलजिमों को तकनिकी सहायता व प्राईवेट मुखबिर के माध्यम से ब्यावर व भीम के पास का होना ज्ञात होने पर उक्त टीम द्वारा मुलजिम हीरासिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र पन्नासिंह उम्र 33 साल जाति रावत निवासी खौड़माल पुलिस थाना टाड़गढ़ जिला अजमेर व उम्मेदसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति रावत उम्र 29 साल निवासी भैंसापा पुलिस थाना जवाजा जिला अजमेर को दस्तयाब किया गया।

श्री दीपक भार्गव ने बताया कि संदिग्ध मुलजिमों से गहनता से पूछताछ की गई, तो मुलजिम ने थाना हल्का जैतारण में 5 माह पूर्व निमाज से आगे हाजीवास रोड़ पर व मैला चौक निमाज में 2 कंठी लूट की वारदाते करना कबुल किया तथा इसके अलावा जिला पाली में और भी कई वारदाते कबूली हैं। दोनों मुलजिम को प्रकरण हाजा में गिरफतार कर गहनता से पूछताछ जारी हैं जिससे और भी वारदाते खुलने की संभावना हैं।

उन्होंने बताया कि मुलजिमों ने 11 मार्च, 2017 को हाजीवास रोड़, निमाज पर श्रीमति मांगुडी पत्नि सुराराम जाति सिरवी निवासी हाजीवास के साथ हुई वारदात, 18 मार्च,2017 को मैला चौक निमाज पर श्रीमति पतासी देवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी बेरा खारचिया निमाज के साथ हुई वारदात तथा 9 मई,2017 को गांव वोपारी प्याऊ से आगे एक पेट्रोल पम्प से पहले कच्चे रास्ते पर हल्का पुलिस थाना सिरीयारी में महिला के साथ लूट की वारदात आदि वारदातें करना कबूल किया है।

राही/ सन्तरा/618/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।